



<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.122/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम के मिल में जारी हुए</p>
<p>28.12.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय अम्बे बोटलिंग, प्लॉट नं. 66-67 भारती नगर, अनादरा चौराहा, सिरोही, जिला- सिरोही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.3.2023 को फर्म जय अम्बे बोटलिंग, प्लॉट नं. 66-67 भारती नगर, अनादरा चौराहा, सिरोही में प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala (Manwar) का नमूना संख्या S-2066 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./697/Act/2023/740 दिनांक 01.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी नियत सुनवाई तिथि 15.12.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.3.2023 को खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के दौरान प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल की फर्म जय अम्बे बोटलिंग, प्लॉट नं. 66-67 भारती नगर, अनादरा चौराहा, सिरोही में प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल से फर्म जय अम्बे बोटलिंग के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala (Manwar) की 120 पैकड बोतलों (प्रत्येक 250 एम.एल.) में से Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala (Manwar) की 16 पैकड बोतलों (प्रत्येक 250 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना</p>	



.....लगाया

 प्रांत. जिला बजिस्ट्रार
 सिरोही-307001.



<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.122/2023</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
	<p>जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala (Manwar) के नमूना संख्या S-2066 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./697/Act/2023/740 दिनांक 01.4.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala (Manwar) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Sweetened Carbonated Fruit Beverage Jeera Masala(Manwar) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय अम्बे बोटलिंग, प्लॉट नं. 66-67 भारती नगर, अनादरा चौराहा, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित किया जाता है। प्रतिवादी भरत पुत्र श्याम जी पटेल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, जय अम्बे बोटलिंग, प्लॉट नं. 66-67 भारती नगर, अनादरा चौराहा, सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.2.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (डॉ. भास्कर बिश्नोई) ज.सि. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001 </p>	

